छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- http://samvad.cg.nic.in, email : cgsamvad@gmail.com

निविदा संशोधन सूचना

क्रमांक – 1157/छ.ग.सं/प्रका./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक : 23/08/2024

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा बसों (सिटी/निजी बस) के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित निविदा सूचना क्र. 575 दिनांक 15.07.2024 के निविदा नियम शर्तें एवं निविदा रजिस्ट्रेशन, जमा एवं खोलने में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1 निविदा के नियम शर्तें में निम्नानुसार संशोधन`किया जाता है :–

क्र.	संशोधन पूर्व नियम शर्तें एवं कार्य	संशोधन पश्चात् नियम शर्तें एवं कार्य
1	**निविदा के बिन्दु क्र. 4 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें :–**फर्मो के पास बसों (सिटी/निजी बस) में विज्ञापन करने की अनुमति नगरपालिक निगम/अर्बन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सोसायटी से होना अनिवार्य है।	फर्मों/अनुबंधित फर्मों के पास बसों (सिटी/निजी बस) में विज्ञापन करने की अनुमति नगरपालिक निगम/अर्बन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सोसायटी से होना अनिवार्य है।
2	**निविदा के बिन्दु क्र. 6 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें :–** निजी बस मालिकों के पास स्वयं के स्वामित्व में कम से कम 10 बस होना अनिवार्य हैं एवं रुट चार्ट प्रस्तुत करना होगा। जो बसे अधिकतम दूरी तय करती है उसको कार्यादेश में प्राथमिकता दी जाएगी।	छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलने वाले निजी बस मालिकों के पास स्वयं के स्वामित्व में कम से कम 10 बस होना अनिवार्य हैं अथवा फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के बस नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम 10 बसों के स्वामित्व रखने वाले बस मालिक/फर्म से बस में विज्ञापन हेतु उपयोग करने संबंधी न्यूनतम 02 वर्ष का अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है। जिनसे अनुबंध हुआ है उनके स्वामित्व के बस का वैध आर सी बुक की प्रतियां (जो कि अनुबंध में उल्लेखित हो) एवं निष्पादित अनुबंध की प्रतियां ऑनलाईन अपलोड करना होगा एवं रुट चार्ट प्रस्तुत करना होगा। जो बसे अधिकतम दूरी तय करती है उसको कार्यादेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
3	**निविदा के बिन्दु क्र. 7 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें:–** निजी बस संचालकों को विज्ञापन आबंटन होने पर क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय एवं संबंधित कार्यालय नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति एवं तय कर जमा करना अनिवार्य होगा।	फर्मों/अनुबंधित फर्मों को क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय एवं संबंधित कार्यालय नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति एवं निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

4	**निविदा के बिन्दु क. 22 में उल्लेखित नियम एवं शर्तेः–** इम्पैनल्ड फर्मों को स्वयं के स्वामित्व का बस की आर सी बुक की प्रति, परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट एवं नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति पत्र छत्तीसगढ़ संवाद में जमा करना होगा। जिससे बसों की सूची में शामिल किया जा सके। छत्तीगसढ संवाद में लिस्टेड स्वयं की स्वामित्व वाले बसों में ही शासन की योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जावेगा।	इम्पैनल्ड फर्मों को स्वयं के स्वामित्व /अनुबंधित बसों की आर सी बुक की प्रति, परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट एवं नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति पत्र छत्तीसगढ़ संवाद में जमा करना होगा। जिससे बसों की सूची में शामिल किया जा सके। छत्तीगसढ संवाद में लिस्टेड स्वयं की स्वामित्व/ अनुबंधित वाले बसों में ही शासन की योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जावेगा।
5	**निविदा के बिन्दु क. 24 में उल्लेखित नियम एवं शर्तेः–** स्वयं के स्वामित्व के अतिरिक्त अन्य के स्वामित्व के बसों में प्रचार–प्रसार का कार्यादेश जारी नही किया जावेगा अथवा किसी प्रकार का ज्वांइटवेंचर/ कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।	स्वयं के स्वामित्व/अनुबंधित के अतिरिक्त अन्य के स्वामित्व के बसों में प्रचार–प्रसार का कार्यादेश जारी नही किया जावेगा ।

2 निविदा के रजिस्ट्रेशन, जमा करने एवं खोलने की तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	**दिनांक 18/09/2024 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक**
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 18/09/2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक**
निविदा खोलने की तिथि	**दिनांक 18/09/2024 समय 4:00 बजे सायं से**

शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर(छ.ग.)